

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:- प. 4(1)कार्मिक/क-2/अं.प्र./2006 जयपुर, दिनांक: 05-06-2013

परिपत्र


समस्त अति० मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित)।

विषय:-विभिन्न संवर्गों एवं पदों की वरिष्ठता सूची जारी करने एवं नियमित
डी.पी.सी. आयोजित किए जाने के संबंध में।

कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 01.04.2013 एवं 22.04.13 के द्वारा निर्दिष्ट किया गया था कि 1 अप्रैल की स्थिति में नियमानुसार वरिष्ठता सूचियां तैयार/जारी कर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर अविलम्ब पदोन्नति की कार्यवाही की जाए।


इस संबंध में समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को पुनः व्यादिष्ट किया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष (2013-14) में नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्र करें।

इसे प्राथमिकता प्रदान करें।



(सी. के. मैथ्यू)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।


(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी प्रेषित है।


संयुक्त शासन सचिव

38/2013